



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273698
CG-DL-E-22062026-273698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3140]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3140]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3266(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के संशोधनों से संबंधित है, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 10 के सामने यथा उल्लिखित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एलबी-18013/5/2024-श्रम]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2026

S.O. 3266(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to amendments to the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), as mentioned against serial number 10 of the Schedule to the said Act, shall come into force.

[F. No. LB-18013/5/2024-Labour]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.